

राजस्व आवेदन संख्या 271/2025
भीमाराम बनाम अमीन खां वगैरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व आवेदन संख्या :-

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

प्रार्थी

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

271/2025

2025/436

बनाम

विप्रार्थीगण

भीमाराम पुत्र पुनमाराम

जाति कुम्हार (प्रजापति)

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

व जिला बालोतरा

- 1.अमीन खां पुत्र मिश्रे खां जाति सिंधी
मुसलमान निवासी करालिया
- 2.पानीदेवी पत्नि गिरधारीलाल
जाति घांची निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा
- 3.राणाराम पुत्र भीकाजी जाति घांची
निवासी सिवाना तहसील सिवाना
- 4.सलीम खां पुत्र लाल खां जाति सिंधी
मुसलमान निवासी करालिया
- 5.कमलादेवी पत्नि टीकमाराम जाति जाट
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
- 6.तेजाराम पुत्र पूराराम जाति जाट
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
- 7.वीरादेवी पत्नि अमरसिंह जाति जाट
निवासी आदर्श चवा तहसील पचपदरा
- 8.मिश्रीमल पुत्र मीठालाल जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा
- 9.अशोककुमार पुत्र केसाराम,जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा
- 10.ओमप्रकाश पुत्र धर्मराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा
- 11.जगदीश पुत्र केसाराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा
- 12.तेजाराम पुत्र धर्मराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


पचपदरा व जिला बालोतरा

13. भंवरलाल पुत्र धर्मराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा14. मदनलाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा15. मोहनलाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा16. हीरालाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार
(प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा17. उकीदेवी पत्नि सांवलराम जाति घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा18. गीतादेवी पत्नि पारसमल जाति घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा19. देवी पत्नि घेवरचंद जाति घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा20. मांगीदेवी पत्नि सुजाराम जाति घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

21. नगर परिषद बालोतरा

22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956****उपस्थिति-**

1. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 17 से 20
3. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 21
4. विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 22 एकपक्षीय



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


आदेश

दिनांक 23/01/2026

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुरांगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के रोढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 17 से 20 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 21 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 17 से 21 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 16 व 22 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के रोढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. इसाके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहरा निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं की गई है। जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाश्री को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करतार रहता है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हेक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयो में सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:


1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1064/403, 1066/118 व 403/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर की जावें।


(अण्णोककुमार) 23/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23-01-2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा